



# वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक:

कुलसचिव  
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय  
जौनपुर

पत्रांक: पू.वि.वि./सम्ब /01- (तीन)/2013/ 2522  
दिनांक: 22.10.2013

सेवा में,

प्रबन्धक,  
गंगा गौरी महाविद्यालय, रामनगर,  
बैजाबारी, आजमगढ़।

विषय:- गंगा गौरी महाविद्यालय, रामनगर, बैजाबारी, आजमगढ़ में स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल एवं गृहविज्ञान में चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक- 10.09.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति, एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक-09 मई 2000 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 03 अथवा 05 वर्ष की संविदा के आधार पर चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि इनके अंक-पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

## स्नातकोत्तर स्तर

नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	विषय	शैक्षिक अर्हता
1. डॉ० हरीन्द्र सिंह पटेल	श्री सुबाष	05.09.1977	भूगोल	पी०एच-डी०-2008
2. डॉ० राकेश	श्री राम कवल विश्वकर्मा	03.08.1978	भूगोल	पी०एच-डी०-2008
3. डॉ० अमित कुमार सिंह	श्री भानुप्रताप सिंह	05.01.1983	भूगोल	पी०एच-डी०-2012
4. डॉ० ज्योतिका श्रीवास्तव	श्री सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	06.08.1977	गृहविज्ञान	पी०एच-डी०-2009
5. कु० श्वेता भाटिया	श्री जुगल किशोर भाटिया	04.07.1984	गृहविज्ञान	नेट - 2012
6. श्री अजब सिंह	श्री गोविन्द प्रसाद	01.12.1985	गृहविज्ञान	नेट जून- 2012

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा पत्र की प्रति प्रवक्ता एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो तथा वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कान्स्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय  
22/10/13  
कुलसचिव



# वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक:

कुलसचिव  
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय  
जौनपुर

पत्रांक: पू.वि.वि./सम्ब /01- (तीन)/2015/2006

दिनांक: १-११-१५

सेवा में,

प्रबन्धक  
गंगा गौरी महाविद्यालय,  
रामनगर, बैजाबारी, आजमगढ़।

**विषय:-** गंगा गौरी महाविद्यालय, रामनगर, बैजाबारी, आजमगढ़ में कार्यरत प्राचार्य का संविदा विस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-20.05.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में कुलपति महोदय के आदेश दिनांक-18.06.2015 के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक-11 जनवरी, 2008 एवं 23 अगस्त 2011 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत आप द्वारा प्राप्त कराये गये अद्यतन अभिलेखों के आधार पर महाविद्यालय में अनुमोदित/कार्यरत प्राचार्य का संविदा-विस्तारण उनके नाम के सम्मुख तिथि से माननीय कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में 05 वर्षों के लिए किये जाने की प्रवृष्टि विश्वविद्यालय अभिलेखों में कर ली गयी है तथा अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा।

क्रं.	प्रवक्ता का नाम	पिता/पति का नाम	विषय	जन्म तिथि	संविदा विस्तारण
1.	डा० तेजबहादुर सिंह	स्व० चन्द्रबली सिंह	प्राचार्य	02.05.1956	25.10.2013 से 5 वर्ष

भवदीय

  
कुलसचिव





# वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक:

कुलसचिव  
वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय  
जौनपुर

पत्रांक: पू.वि.वि./सम्ब /01-(तीन)/2015/ 10834  
दिनांक: 11.03.15

सेवा में,

प्रबन्धक  
गंगा गौरी महाविद्यालय,  
रामनगर बैजाबारी, आजमगढ़।

विषय:- गंगा गौरी महाविद्यालय, रामनगर बैजाबारी, आजमगढ़ में कार्यरत प्रवक्ता का संविदा विस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-07.01.2014, 07.11.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में कुलपति महोदय के आदेश दिनांक-24.02.2015 के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक-11 जनवरी, 2008 एवं 23 अगस्त 2011 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत आप द्वारा प्राप्त कराये गये अद्यतन अभिलेखों के आधार पर महाविद्यालय में अनुमोदित/कार्यरत प्रवक्ताओं का संविदा-विस्तारण उनके नाम के सम्मुख तिथि से माननीय कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में 05 वर्षों के लिए किये जाने की प्रविष्टि विश्वविद्यालय अभिलेखों में कर ली गयी है तथा अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा। साथ ही **AISHE Survey** के अन्तर्गत महाविद्यालय का रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें।

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता/पति का नाम	विषय	जन्मतिथि	संविदा विस्तारण
1	डॉ० मनोज कुमार सिंह	स्व० शंकर सिंह	प्रा०इतिहास	10.01.1972	दिनांक-07.01.2013 से 5 वर्ष हेतु
2	डॉ० हरेन्द्र सिंह	स्व० रामनयन सिंह	भूगोल	12.02.1976	दिनांक-07.01.2013 से 5 वर्ष हेतु
3	डॉ० पंकज कुमार राय	श्री गाँधी जी	संस्कृत	17.09.1977	दिनांक-07.01.2013 से 5 वर्ष हेतु
4	डॉ० रामाश्रय यादव	श्री साधू यादव	समाजशास्त्र	10.07.1975	दिनांक-25.03.2013 से 5 वर्ष हेतु

भवदीय

  
कुलसचिव



# वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,  
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,  
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/01-(तीन)/2015/ 911  
दिनांक: 23/08/15

सेवा में,

प्रबन्धक,  
गंगा गौरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

राम नगर - सम्मन्त बैजाबारी, आजमगढ़।

**विषय:-** स्ववित्तपोषित योजना के अधीन स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत अंग्रेजी विषय में प्रवक्ता के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-12.01.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 दिसम्बर, 2010 व 25 नवम्बर, 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पाँच वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नलिखित अभर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/ अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	प्रवक्ता
1	अंजना रामजीत यादव	श्री रामजीत यादव	11.11.1975	एम0ए0 नेट जून-2012	अंग्रेजी

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्स्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय साथ ही AISHE Survey के अन्तर्गत महाविद्यालय का रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। यदि भौतिक सत्यापन पूर्ण नहीं तो तीन माह में पूर्ण करा लें।

भवदीय,

कुलसचिव